विदेश में निजी दौरे के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा पूर्व अनुमति लेने का प्रोफार्मा PROFORMA FOR TAKING PRIOR PERMISSION BY GOVERNMENT SERVANTS FOR PRIVATE VISITS ABROAD

भाग ए - विदेश यात्रा के लिए आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जाना है Part A – To be filled by the Government servant applying for visit abroad

	•
1	नाम एव पदनाम Name and Designation:
	THE DO ACTION NAME AND DEGLODATION.
т.	111 \ \ \ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\
	•

- 2. वेतन Pay:
- 3. मंत्रालय/विभागMinistry/Department:
- 4. पासपोर्ट क्र./Passport No.:

यात्रा की अवधि	विदेशी का नामजिन देशों	उद्देश्य	अनुमानित व्यय (यात्रा,	धन स्रोत
Period of	का दौरा किया जाना है	Purpose	बोर्ड, आवास, वीज़ा,	Source of funds
travel	Name of foreign		विविध, आदि) Estimated	
	countries to be		expenditure (travel,	
	visited		borad, lodging, visa,	
			misc., etc.)	
		_		

- 5. की जाने वाली निजी विदेश यात्राओं का ब्यौरा Details of private foreign travels to be undertaken:
- 6. पिछले चार वर्षों के दौरान की गई निजी विदेश यात्राओं का ब्यौरा Details of private foreign travel undertaken during the last four years

यात्रा की अवधि	विदेशी देशों का नामदौरा किया Name of	उद्देश्य
Period of travel	foreign countries visited	Purpose

हस्ताक्षर Sig	gnature
---------------	---------

दिनांक Date:

भाग बी - प्रशासन द्वारा भरा जाएगा

Part B — To be filled by the Administration

- 1. क्या सरकारी कर्मचारी बड़ी मात्रा में सरकारी नकदी संभाल रहा है। Whether the Government servant is handling large amounts of government cash.
- 2. क्या सरकारी कर्मचारी गुप्त/अतिगोपनीय मामलों से निपट रहा है। Whether the Government servant is dealing with secret/top secret matters.
- 3. क्या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर आरोपों से संबंधित कोई मामला जांच के अधीन है? (विवरण) Whether any case involving serious charges against the Government servant is under investigation (Details)
- 4. क्या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक मामला लंबित है (विवरण) Whether any disciplinary proceeding' criminal case is pending against the Government servant (Details).

हस्ताक्षर Signature

दिनांक Date:

नाम एवं पदनाम Name and Designation

वचन पत्र UNDERTAKING

अनुदान के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैविदेश यात्रा हेतु अवकाश REQUIRED TO BE FURNISHED FOR GRANT OF LEAVE TO VISIT ABROAD

	में, (नाम)
	(पदनाम) एतद्द्वारा (यात्रा किए जाने
	वाले देश का नाम) की अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं:-
	I, (Name)
	(Designation) hereby undertake to abide by the following
	conditions during my visit to (Name of the Country to be
	visited):-
2.	मैं भारत सरकार/आईसीएमआर की पूर्वानुमित के बिना वित्तीय सहायता के लिए किसी भी विदेशी एजेंसी से
	High नहीं करिया। I will not approach any foreign agency for financial assistance without

- 2. मैं भारत सरकार/आईसीएमआर की पूर्वानुमित के बिना वित्तीय सहायता के लिए किसी भी विदेशी एजेंसी से संपर्क नहीं करूंगा। I will not approach any foreign agency for financial assistance without prior approval of the Government of India / ICMR.
- 3. मैं किसी भी विदेशी एजेंसी के साथ सीधे तौर पर किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं करूंगा सिवाय मेरे नियोक्ता अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माध्यम से। I will not enter directly into any kind of correspondence with any foreign agency except through my employer i.e. Indian Council of Medical Research.
- 4. यदि मुझे छुट्टी मंजूर होती है तो मैं छुट्टी समाप्त होने के बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में ड्यूटी पर लौट आऊंगा। I will return to duty in the Indian Council of Medical Research after expiry of leave, if sanctioned to me.
- 5. मैं विदेश में रहने के दौरान कोई नौकरी नहीं करूंगा। I will not employ myself during the period of my stay abroad.
- 6. मैं स्वयं को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं करूंगा, जिससे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दोनों देशों के बीच। I will not involve myself in any activity, which may adversely affect the relations between the two countries.
- 7. अवकाश वेतन का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया जाएगा। No payment of leave salary will be made in foreign exchange.
- 8. विदेश में रहते हुए, मैं आरंभ में स्वीकृत अवकाश की अवधि से अधिक अवकाश विस्तार के लिए अनुरोध नहीं करूंगा तथा मैं यह भी समझता हूं कि ऐसे अनुरोध पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा तथा विस्तार की मंजूरी, यदि कोई हो, लोकहित में कार्य की अनिवार्यताओं पर निर्भर करेगी। I will not request for grant of extension of leave, while abroad beyond the period of leave initially sanctioned to me and I also understand that such request shall ordinarily not be entertained and the grant of extension, if any, will depend on the exigencies of work in public interest.